भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5355

दिनांक 05 अप्रैल, 2022/15 चैत्र, 1944 (शक) को उत्तर के लिए

तेजाब हमले

5355. श्री गोपाल शेट्टी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में तेजाब हमले के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में तेजाब के हमलों को रोकने के लिए तेजाब की बिक्री के संबंध में नियमों को और अधिक सख्त बनाने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा देश में तेजाब हमलों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार मिश्रा)

(क) और (ख): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। नागरिकों के प्रति अपराधों की जांच और अभियोजन सहित कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा नागरिकों के जान-माल की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती हैं। राज्य सरकारें कानून के मौजूदा प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे अपराधों से निपटने के लिए सक्षम हैं।

तथापि, गृह मंत्रालय ने भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों को कार्यान्वित करने, तेजाब से हमले के मामलों पर कार्रवाई में तेजी लाने तथा पीड़ितों को उपचार एवं मुआवजा प्रदान करने हेतु कदम उठाने के बारे में 20 अप्रैल, 2015 को एक व्यापक एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी 20 मई, 2015 को यह उल्लेख करते हुए एक एडवाइजरी जारी की है कि कोई भी अस्पताल, चाहे वह सार्वजनिक हो अथवा निजी, किसी भी तेजाब हमले के पीड़ित का उपचार करने से मना नहीं करेगा।

इसके अलावा, भारत सरकार "वन स्टॉप सेंटर (ओएससी)" और "महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) के सर्वसुलभीकरण" नामक स्कीमों का कार्यान्वयन कर रही है। ओएससी का उद्देश्य हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक ही स्थान पर समेकित सेवाएं जैसे कि पुलिस सहायता, चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और कानूनी काउंसलिंग, मनो-सामाजिक काउंसलिंग, अस्थायी आश्रय इत्यादि प्रदान करना है। "महिला हेल्पलाइन का सार्वभौमीकरण" नामक स्कीम के अंतर्गत, शॉर्ट कोड 181 के माध्यम से, सार्वजनिक और निजी दोनों ही स्थानों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को उपयुक्त विभागों जैसे कि पुलिस, वन स्टॉप सेंटर, अस्पताल, कानूनी सेवाओं इत्यादि से जोड़ते हुए 24 घंटे आपात और गैर-आपात सहायता प्रदान की जाती है। डब्ल्यूएचएल देशभर में महिला कल्याण स्कीमों और कार्यक्रमों के बारे में सूचना प्रदान करने के अलावा, संकटग्रस्त महिलाओं को राहत वैन और काउंसलिंग सेवाओं के जरिए भी सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तेजाब से हमले के पीड़ितों सहित कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं को राहत प्रदान करने और उनके पुनर्वास के लिए "स्वाधार गृह स्कीम" का भी संचालन कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, तेजाब से हमले के पीड़ितों को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष के तहत मुआवजे के रूप में एक लाख रुपये भी प्रदान किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ): गृह मंत्रालय ने दिनांक 30.08.2013 की एक एडवाइजरी के माध्यम से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को "आदर्श विष नियम" परिचालित किए थे, ताकि संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में तेजाब की बिक्री को विनियमित करने के लिए इन नियमों को अधिसूचित किया जा सके।

इसके अलावा, गृह मंत्रालय ने दिनांक 12.08.2021 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस बात की समीक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक अन्य एडवाइजरी भी जारी की है कि तेजाब और रसायनों की खुदरा बिक्री को "विष नियम" के अनुसार सख्ती से विनियमित किया जाए, ताकि इनका इस्तेमाल अपराध में न हो सके। ये एडवाइजरी www.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।

******